

2.9.19

पत्रावली प्रस्तुत/पीठमन अधिकारी महोदय के नून 07/16
से मा / अन्य कार्य-में व्यस्त है । अतः
पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक...21:8:19
को पेश हो

18.10.19

पत्रावली आज वाकी के प्रा.फत्र पेश
होने पर तलब की गई। वाकी ने अपने
प्रा.फत्र में अंकित किया है कि पक्षधारों के मुख्य
शाहीलामा से गुना है। हम प्रकुरण को आगे
चलाना नहीं चाहते हैं। नोट प्रस में खारिज
फरमाई जाये।

अतः वाकी का दावा धारा 188,88
क 53 रू. Act खिलाफ प्रतिवादी जाण को
नोट प्रस में खारिज किया जाता है। पत्रावली
कैशल शुमार सिफर काद तकमील सारिकल
हफतर है।



सुरेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोच

Not received
के कारिका
18/10/19
उपखण्ड
हिण्डोच